



दिनांक 03.02.2026 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जनगणना-2027 से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 03.02.2026 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना, 2027 के विभिन्न चरणों के सफल, समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई:-

1. डॉ० बी. राजेन्द्र, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग
2. श्री सी.के. अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-राज्य समन्वयक, जनगणना, बिहार।
3. श्री विनय कुमार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
4. श्री मयंक बरवडे, सचिव, योजना एवं विकास विभाग
5. श्रीमति वंदना प्रेयषी, सचिव, समाज कल्याण विभाग
6. श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा वित्त विभाग
7. श्री मनोज कुमार, सचिव, पंचायती राज विभाग
8. श्री एम. रामचंद्रडु, निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार।
9. श्री रंजीत कुमार, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार
10. श्री विष्णु भूषण चौधरी, अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार।

बैठक में निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार द्वारा भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी PPT प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत की गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान जनगणना, 2027 के विभिन्न चरणों, प्रशासनिक तैयारियों, मानव संसाधन, वित्तीय व्यवस्था, प्रशिक्षण, तकनीकी पक्ष तथा समन्वय व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण एवं विचार विमर्श के पश्चात् मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित निदेश दिये गये:-

1. प्रथम चरण की अवधि एवं अधिसूचना:-

भारत की जनगणना, 2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) हेतु दिनांक 02.05.2026 से 31.05.2026 (कुल 30 दिन) तक की अवधि निर्धारित करते हुए संबंधित अधिसूचना का राज्य राजपत्र में प्रकाशन कराया जाय। प्रथम चरण के प्रारंभ से पूर्व नागरिकों को स्वगणना (Self Enumeration) 18.04.2026 से 01.05.2026 (15 दिवस) की अवधि उपलब्ध कराई जाय तथा नागरिकों को स्वगणना हेतु व्यापक प्रचार प्रयास विभिन्न माध्यमों से किया जाय।

(अनुपालन:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।)

2. प्रश्नावली से संबंधित अधिसूचना:-
मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य हेतु प्रयुक्त प्रश्नावलियों से संबंधित अधिसूचना का राज्य राजपत्र में पुनः प्रकाशन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
3. जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन:-
प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (DLCCC) का गठन करते हुए जिला नोडल नामित किए जाएंगे तथा संबंधित आदेश की प्रति जनगणना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग/सभी जिलाधिकारी)
4. जनगणना पदाधिकारियों की नियुक्ति:-
प्रत्येक जिला में जिला जनगणना पदाधिकारी एवं अन्य कनीय जनगणना पदाधिकारियों की अविलंब नियुक्ति के संबंधित आदेश जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- उच्च शिक्षा विभाग/शिक्षा विभाग/सभी जिलाधिकारी/जनगणना कार्य निदेशालय।)
5. विशेष एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान:-
सभी जिलों में अवस्थित विशेष एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान कर उनकी प्रमाणित सूची जनगणना निदेशालय को अविलंब उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- सभी जिलाधिकारी।)
6. PFMS मैपिंग:-
जनगणना कार्य हेतु वित्तीय लेन-देन को सूचारु एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी संबंधित बैंक खातों को PFMS से मैप कराया जाय।
(अनुपालन:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।)
7. मानव संसाधन की व्यवस्था:-
राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर पर तकनीकी सहायक एवं MTS की नियुक्ति हेतु अधिकृत एजेंसी के माध्यम से प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन:- संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी।)
8. मलिन बस्तियों की सूची:-
सभी नगर निकायों की मलिन बस्तियों की अद्यतन एवं प्रमाणित सूची जनगणना निदेशालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
(अनुपालन:- नगर विकास विभाग/जिलाधिकारी)
9. प्रशिक्षण व्यवस्था:-

मास्टर ट्रेनर्स की सूची उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण हेतु स्थान एवं तिथियों का निर्धारण कर समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/जनगणना निदेशालय।)

10. लोकेशन एवं शॉर्ट कोड:-

Short Code आधारित Spreasheet के आलोक में सभी राजस्व गाँवों/वार्डों की जांच कर HLBs का आकलन का अद्यतन विवरण जनगणना निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी।)

11. राज्य स्तरीय सम्मेलन:-

राज्य स्तरीय सम्मेलन दिनांक 23.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:-जनगणना कार्य निदेशालय/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।)

12. जनगणना सेल का गठन:-

राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर पर जनगणना कोषांग (Census Cell) का गठन शीघ्र पूर्ण कर इसे सुदृढ़ किया जाएगा।

(अनुपालन:- संबंधित विभाग/जिलाधिकारी/चार्ज अधिकारी)

13. विभिन्न विभागों का सहयोग:-

शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग को जनगणना कार्य में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- संबंधित विभाग/जनगणना कार्य निदेशालय)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(प्रत्यय अमृत),
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार

ज्ञापांक-जनगणना कोषांग-04/2026.. (ज0को0)-/रा0, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग/सचिव पंचायती राज विभाग/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/सचिव उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/निदेशक, जनगणना कार्य-सह-नागरिक निबंधन, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार/प्रधान सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(सी0के0अनिल)
पधान सचिव।

ज्ञापांक-जनगणना कोषांग-04/2026.. 19 (ज0को0)-/रा0, दिनांक-05/2/2026

प्रतिलिपि:- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(सी0के0ग्रअनिल)

प्रधान सचिव।